

मूल वाद में डिफ्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट कुलचन्द्र)

1. रविन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी ।  
-वादी

बनाम  
जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी ।  
1. कृष्ण कुमार पुत्र लालचन्द्र  
2. गीतादेवी पत्नी कृष्ण कुमार  
3. अनिल कुमार पुत्र कृष्ण कुमार  
4. किरण पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी करण जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी ।  
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ।  
-प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या:-1/2017

वादपत्र अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए

निर्णय दिनांक:-15.6.2018

वादी की ओर से श्री रोहिताश चाहर एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री अजय मादू एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि-चक नं. 8 एफटीपी ए के खाता सं0 14/14 के प.नं.209/253 मु.38 किला नं. 6,7,8, कुल 0.759 है.नहरी व चक नं. 10 सीडीआर ए के प.नं. 210/253 मु.नं. 23 किला नं. 7,8,9,10, प.नं. 211/253 मु.नं. 24 किला नं.9,10 कुल 1.518 है. नहरी व इसी चक के खाता 33/32 प.नं. 211/254 मु.नं. 55 किला नं. 11,12, कुल .506 है.नहरी भूमि यानि दोनों चकों में कुल 2.783 है.यानि 11 वीघा नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं. 8 एफटीपी ए के खाता सं.14/14 की कुल 0.759 है. भूमि व चक नं.10 सीडीआर ए के खाता सं. 32/31 की कुल 1.518 है. भूमि में से प्रतिवादी सं.1 का नाम कलमजन तथा चक नं. 10 सीडीआर ए के खाता सं. 33/32 की कुल 0.759 है. में से 0.506 है. प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम कर शेष खाता बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.6.2018 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत कुलचन्द्र में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(उम्मेद सिंह रतनू)  
पीठासीन अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे	वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प		1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		0	प्लीडर की फीस	0
4. ... रूपये पर प्लीडर की फीस		0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		0	आदेशिका की तामील	0
6. कॉमिश्नर की फीस		0	कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील		0		0
जोड़		1100/-	जोड़	